जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित पी.एम.यु पर संविदा पर नियुक्ति संबंधी सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला/प्रखंड स्तर पर गठित पी.एम.यु. के रिक्त पदों पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड राँची के पत्रांक–2300 दिनांक–23.06.2022 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में मासिक मानदेय पर संविदा पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवदेन आमंत्रित किया जाता है।

कोटिवार रिक्त पदों की संख्या एवं अहर्त्ता निम्नवत है :–

क्रम	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	कोटिवार रिक्त पदों की संख्या		उम्र सीमा	मासिक मानदेय	शैक्षणिक योग्यता
			अनारक्षित	अनु०जाति			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रखंड समन्वयक	1	1	0	22–45 वर्ष	18000/–	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रूरल मेनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मेनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक एवं 01 वर्ष का कार्यानुभव। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 01 वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर (जिला स्तरीय)	1	1	0	18–30 वर्ष	15000/–	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट उतीर्ण एवं Diploma In Computer Application (DCA) के साथ 01 वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रजी में टंकण की दक्षता अनिवार्य।
3	लेखापाल–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर (प्रखंड स्तरीय)	1	0	1	18–30 वर्ष	10000/–	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट उतीर्ण एवं DCA के साथ 06 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रजी में टंकण की दक्षता अनिवार्य। 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट उतीर्ण एवं DCA के साथ 06 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रजी में टंकण की दक्षता अनिवार्य। 3. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट उतीर्ण एवं 06 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रजी में टंकण की दक्षता अनिवार्य।

नोट :– 1.उम्र की गणना 01.07.2022 के आधार पर की जायेगी।

2.इस कार्यालय के सूचना ज्ञापांक–1778 दिनांक–21.10.2021 के माध्यम से पूर्व में निकाली गई नियुक्ति विज्ञापन अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है।

- उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता के आलोक में मैट्रीक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उर्तीर्ण होना आवश्यक है। इससे पूर्ण नहीं किये जाने दशा में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामलों में सरकार के प्रावधानुसार झारखंड राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रीक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उर्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

- उक्त संविदा आधारित नियुक्ति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण, स्थानीयता एवं अन्य निर्देश लागु होंगे।

आवेदक ऑनलाईन आवदेन विभागीय पोर्टल https://applyrdd.jharkhand.gov.in पर दिनांक– 20/07/2022 से 26/07/2022 तक आवदेन भर सकेंगे। नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश https://deoghar.nic.in पर देखी जा सकती है।

DB 16/07/22

उपायुक्त,
देवघर।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक....889....जि०ग्रा०वि०अभि०, देवघर, दिनांक........18......जुलाई, 2022 ई०।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सचना को किसी 03 स्थानीय समाचार पत्र के संस्करण में दिनांक– 20/7/2022 को प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त आम सूचना को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– श्री राम कुमार सिन्हा, अपर सचिव ग्रा०वि०वि० को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उपरोक्त नियुक्ति हेतु ऑनलाईन फॉर्म https://applyrdd.jharkhand.gov.in पर आमंत्रित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

18/7/2022

उपायुक्त,

देवघर।

CS Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner